न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), सोनभद्र।

उपस्थित–श्री विनय कुमार सिंह–द्वितीय (उच्चतर न्यायिक सेवा),

सत्र परीक्षण संख्या–70/2017,

राज्य **बनाम** घमड़ी

थाना–चोपन, जिला सोनभद्र।

<u>आदेश</u>

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के स्तर पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का भली–भॉति अवलोकन किया गया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त घमड़ी के विरूद्ध आरोप धारा–363, 366 भारतीय दंण्ड संहिता के तहत विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। तद्नुसार उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाता है। अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना साक्ष्य दिनॉक 06.04.2018 को प्रस्तुत करें।

दिनॉक–13.03.2018

(विनय कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश(त्वरित न्यायालय),
सोनभद्र।